न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या** 125 / 2023(GCMS : 2023/234)

ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूव में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय–4–ई–8, जवाहर नगर, प्रथम तल, मीरा चौक रोड़, नजदीक गौड़ हास्पीटल, श्रीगंगानरगर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता–पोर्टफोलियो **कलैक्शन मैनेजर मनोज कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद**

बनाम

1. **हरदीप सिंह** पुत्र श्री सुखदेव सिंह, निवासी 31 जीजी, ततारसर, जिला श्रीगंगानगर
2. **बलजीत सिंह** पत्नी श्री सुखदेव सिंह निवासी ततारसर जिला श्रीगंगानगर
3. **कुलदीप सिंह** पुत्र श्री सुखदेव सिंह निवासी ततारसर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.10.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री राजीव मेहन्दीरत्ता ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण हरदीप सिंह, बलजीत कौर एवं कुलदीप सिंह को ऋण सुविधा के रूप में राशि 7.10/– लाख रूपये (अखरे रूपये सात लाख दस हजार मात्र) का ऋण दिनांक 28.01.2020 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी हरदीप सिंह की अचल सम्पत्ति बुक नं. 477, पट्टा नं. 16 (क्षेत्रफल 315 सक्वेयर यार्ड), ग्राम पंचायत ततारसर, सब रजिस्ट्रार, चूनावढ़, जिला श्रीगंगानगर** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण हरदीप सिंह, बलजीत कौर एवं कुलदीप सिंह को 7.10/– लाख रूपये (अखरे रूपये सात लाख दस हजार मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 28.01.2020 को प्रदान [illegible] की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण हरदीप सिंह **की अचल सम्पत्ति बुक नं. 477, पट्टा नं. 16 (क्षेत्रफल 315 सक्वेयर यार्ड), ग्राम पंचायत ततारसर, सब रजिस्ट्रार, चूनावढ़, जिला श्रीगंगानगर,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 10.04.2023 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन. पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 15.04.2023 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 19.04.2023 को भिजवाये गये है एवं समाचार पत्र इण्डियन एक्सप्रैस एवं सीमा संदेश में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित करवाया जाना अंकित है। अप्रार्थीगण को जारी धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण **और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।**

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी हरदीप सिंह **की अचल सम्पत्ति बुक नं. 477, पट्टा नं. 16 (क्षेत्रफल 315 सक्वेयर यार्ड), ग्राम पंचायत ततारसर, सब रजिस्ट्रार, चूनावढ़, जिला श्रीगंगानगर,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस दिनांक 15.04.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 15.04.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 19.04.2023 को भिजवाना अंकित है। अप्रार्थीगण को जारी धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं ऑनलाइन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है किन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अप्रार्थी सुखदेव सिंह जिसे धारा 13(2) का नोटिस जारी किया गया है, परन्तु उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अनुसार समस्त अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक हैं

पक्षकार बनाये जाने के सम्बन्ध में वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण **और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 2(एफ) निम्नानुसार अवलोकनीय है:**

> (f) **"borrower" means** any person who has been granted financial assistance by any bank or financial institution or who has given any grarantee or created any mortgage of pledge as security for the financial assistance granted by any bank or financial institution and includes a person who becomes borrower of a securitisation company or reconstruction company consequent upon acquisition by it of any rights or interest of any bank or financial institution in relation to such financial assistance:

चूंकि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी सुखदेव सिंह को हस्तगत प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि धारा 13(2) का नोटिस जारी किया गया है, परन्तु उसे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 2(एफ) के अनुसार समस्त ऋणियों पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है।

कोई भी न्यायालय किसी भी प्रचलित/प्रभावी अधिनियम के प्रावधानों के बाहर जाकर कोई निर्देश/आदेश जारी नहीं कर सकता है और इसके सम्बन्ध माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीड ने 2012 Cr. l.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr के पैरा–13 में भी निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

> **13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the [illegible] authority to act in contravention of the statutory provis'o[illegible] Courts are meant to enforce the rule of law and [illegible] which are contrary to what has been [illegible] [see aslo : Vice Chancellor, University of [illegible] Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; a[illegible] karnataka State Road Trasnport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:49 IST
Reason: Self Attested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

चूंकि अप्रार्थी सुखदेव सिंह को हस्तगत प्रकरण उक्त धारा 2(एफ) पालना पक्षकार न बनाये जाने के कारण एवं उक्त कानूनी प्रावधानों की अवहेलना होने के कारण प्रार्थी ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार करने योग्य नहीं है। **प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण को पुनः धारा 13(2) के नोटिस जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से कर पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक्मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ansh

(अंशदीप)

जिला मजिस्ट्रेट

श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:28:49 IST
Reason: SelfAttested